कार्यालय नगर परिषद, सीकर

श्री कल्याण नगर परिषद, भवन, राणी सत्ती रोड़, Pin 332001, Email:- sikarulb.jaipur@gmail.com

S. No. :- F.(11)/90A /2023-24/ Date: 05.2023

—:अधिवास प्रमाण पत्र:—

सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र के तहसील सीकर के राजस्व ग्राम राधाकिशनपुरा के खसरा संख्या 717 रकबा रकबा 0.5100 है0 में से रकबा 0.0472 है0 (नवीन खसरा संख्या 2544/717 रकबा 0.0422 है0, एवं खसरा संख्या 2547/717 रकबा 0.0050 है0) एवं खसरा संख्या 720 रकबा 0.7600 है0 में से रकबा 0.7182 है0(नवीन खसरा संख्या 2550/720 रकबा 0.7182 है0) कुल रकबा 0.7654 है0 किस्म गै0मु0 आबादी भूमि का राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि कां गैर—कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन का निस्तारण किया जा चूका है। जिसके अन्तर्गत राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क की कार्यवाही एवं ले—आउट प्लान का अनुमोदन सक्षम स्तर से किया जा चूका है। विकासकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवा दिया गया है एवं आन्तरिक विकास की एवज में 12.5 प्रतिशत भूखण्ड (भूखण्ड संख्या 24, 25, 26, 29) जरिये डीड (100/— रूप्ये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित) नगर परिषद के पक्ष में Pludg(रहन) किये जा चूके हैं। अतः विकासकर्ता Pludg(रहन) किये गये भूखण्डों, भूखण्ड संख्या 24, 25, 26, 29 को छोड़कर शेष भूखण्डों का अनुमोदित ले—आउट प्लान अनुसार बेचान करने के लिए स्वतंत्र हैं। भूखण्डों का जिन लोगों को बेचान किया जाता है, उनको निर्धारित प्रपत्र में प्रोविजनल पट्टा जारी कर आवंटियों की सूची नगर परिषद कार्यालय में 100/— रूपये के शपथ पत्र पर प्रस्तुत करें। इसके साथ—साथ उक्त योजना में आन्तरिक विकास अर्थात सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेज आदि अपने स्तर पर विकसित करें। ये सुविधाऐं विकसित करने पर ही Pludg (रहन) किये गये भूखण्ड रिलिज किये जायेंगे। रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जाये।

Sd/-
प्राधिकृत अधिकारी एवं
आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

S. No. :- F.(11)/90A /2023-24/3038 - 3041 Date: 18..05.2023

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संबंधित जोन निरीक्षक, नगर परिषद, सीकर।
2. संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद, सीकर।
3. कृषि भूमि नियमन शाखा, नगर परिषद, सीकर।
4. विकासकर्ता/आवेदक 1. श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री छिगनलाल 2. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री उदादास 3. श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री उदादास 4. श्री हरीराम पुत्र श्री उदादास निवासीगण राधाकिशनपुरा, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि आन्तरिक विकास के एवज में नगर परिषद के पक्ष में Pludg(रहन) किये गये 12.5 प्रतिशत भूखण्डों की सूची कॉलोनी में बोर्ड पर चस्पा करावें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

कार्यालय नगर परिषद, सीकर

S. No. :- F.(11)/90A /2023-24/3036 Date: 12/..04.2023

आवेदक 1. श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री छिगनलाल
2. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री उदादास
3. श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री उदादास
4. श्री हरीराम पुत्र श्री उदादास
निवासीगण राधाकिशनपुरा, सीकर

विषयः– तहसील सीकर के राजस्व ग्राम **राधाकिशनपुरा** के खसरा संख्या 717 रकबा रकबा 0.5100 है0 में से रकबा 0.0472 है0 (नवीन खसरा संख्या 2544/717 रकबा 0.0422 है0, एवं खसरा संख्या 2547/717 रकबा 0.0050 है0) एवं खसरा संख्या 720 रकबा 0.7600 है0 में से रकबा 0.7182 है0(नवीन खसरा संख्या 2550/720 रकबा 0.7182 है0) कुल रकबा 0.7654 है0 भूमि का कृषि से अकृषिक उपयोग (आवासीय) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने बाबत।

प्रसंगः– निकाय स्तर पर गठित ले–आउट प्लान कमेटी की बैठक दिनांक 28.04.2023 के संबंध में।

उपर्युक्त विष्यान्तर्गतलेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान को विभागीय अधिसूचना कमांक एफ 3(50)यूडीएच/3/2012, प.3(90)नविवि/03/2012 दिनांक 21.06.2012 के नियम 31, 32 के तहत गठित ले–आउट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 28.04.2023 के द्वारा निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता हैः–

1. प्रकरण में आवासीय योजना का परीक्षण नगरीय विकास विभाग राजस्थान द्वारा जारी टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत किया गया है।
2. उक्त प्रकरण में प्रस्तुत योजना मानचित्र का हल्का पटवारी द्वारा योजना सीमा बिन्दू "ए,बी,सी,डी, ई, एफ, जी, एच" तक प्रमाणिकरण किया गया है।
3. उपर्युक्त स्वीकृत मानचित्र में प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार यानी पहुंच मार्ग मौके पर कायम किया जाने का दायित्व संबंधित आवेदक का रहेगा।
4. उक्त आवासीय योजना का कुल क्षेत्रफल 7654 वर्गमीटर है, जिसका निम्न प्रकार से भू–उपयोग निर्धारित किया जाना स्वीकृत किया जाता हैः–

क.स.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्रतिशत
1	आवासीय	4816.31	64.23 %
2	इन्फॉरमल कॉमर्शियल	172.28	02.25 %
3	एस.डब्ल्यू.एम.	44.18	0.58 %
4	सड़क	2521.23	32.94 %
5	योग	7654.00	100 %

5. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दू संख्या 11(IV) के प्रावधानुसार विक्रय योग्य भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को आन्तरिक विकास यथा सड़क, स्ट्रीट लाईट, जलापूर्ती, सीवरेज एवं ड्रेनेज, का कार्य निर्धारित समय सीमा में कराने की जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की रहेगी, के पेटे निकाय द्वारा उपबंधित/रहन रखे जावेंगे एवं आमजन के जानकारी हेतु उक्त भूखण्डों की सार्वजनिक जानकारी का विवरण पट्टिका संबंधित कॉलोनी में लगावाया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी।
6. ले–आउट से संबंधित भूमि का मौके पर क्षेत्रफल या भूमि के स्वामित्व संबंधित पूर्ण होना या कम होने पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो नगर परिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, संबंधित आवेदक की रहेगी।
7. आवेदित भूमि के आस–पास की पूर्व से अनुमोदित या 17.06.1999 से पूर्व की कोई कॉलोनी विकसित/ अवस्थित होने की दशा में उक्त में से आने वाली सड़कों की निरन्तरता यथा संभव

सुनिश्चित किया जाने की जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी एवं आवश्यक हुआ तो भूखण्डों का विक्रय/आवंटन करने से पूर्व ले–आउट में संशोधन करवाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी।

8. प्रस्तावित योजना में पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण की दृष्टि से नियमानुसार वर्षा जल संग्रहण हेतु स्थापना करवाया जाने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की रहेगी।
9. प्रस्तावित योजना में विकासकर्ता द्वारा न्यूनतम 30 वृक्ष प्रति एकड़ के अनुसार सड़कों के दोनों ओर लगाये जाने होंगे।
10. प्रस्तावित योजना में भवन निर्माण से पूर्व भूखण्ड क्रेता/आवंटी के द्वारा प्रचलित भवन निर्माण आज्ञा नियमों के तहत निर्माण से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ही निर्माण किया जा सकेगा।
11. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जाये।

संलग्नः– स्वीकृत ले–आउट प्लान की प्रति।

(शशिकान्त शर्मा)
प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

KRISHNA VIHAR PHASE 4

TOTAL STATION PLAN OF KHASRA NO.2544/717, 2547/717, 2550/720 NEAR BALAJI TEMPLE, , SIKAR
REVENUE VILL. -RADHAKISHANPURA.-SIKAR (RAJ.)
FOR- 90A AND RESIDENTIAL (PRIVATE KHATEDAR SHEME) CONVERSION
APPLICANT:-1. PRABHU DAYAL S/o, CHIGANLAL 2.RAJENDRA KUMAR 3. HARI RAM ALL S/o UDADAS 3. RAMPYARI W/O UDADAS

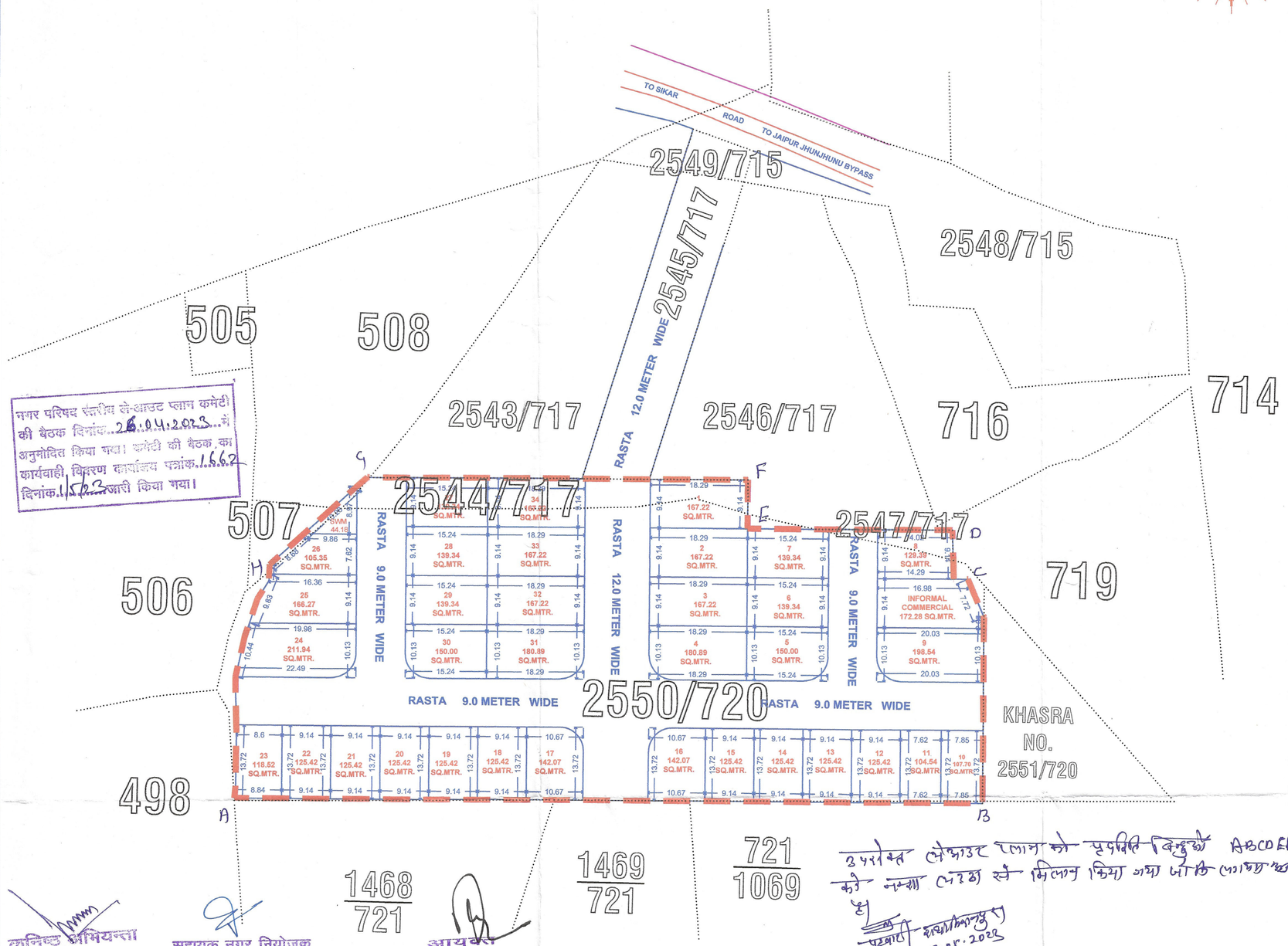

नगर परिषद स्तरीय ले-आउट प्लान कमेटी की बैठक दिनांक 26.04.2023 में अनुमोदित किया गया। कमेटी की बैठक का कार्यवाही विवरण कार्यालय पत्रांक 1662 दिनांक 1/5/23 जारी किया गया।

उपरोक्त लेआउट प्लान को पृथक्ति बिन्दुओं ABCDEFGHA को नक्शा लड्डा से मिलान किया गया जो कि लगभग [illegible]
पटवारी राधाकिशनपुरा
08.05.2023

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर परिषद, सीकर

सहायक नगर नियोजक
नगर परिषद, सीकर

आयुक्त
नगर परिषद सीकर

योजना का नाम ..... का ले-आउट आज दिनांक ..... को लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

प्रभु	राजेन्द्र	हरिराम	

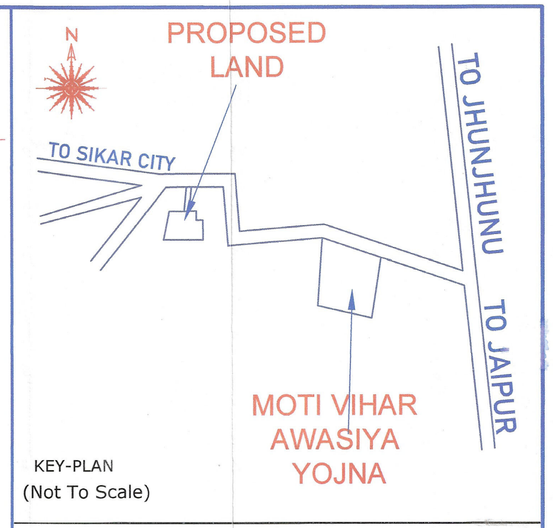

KEY-PLAN
(Not To Scale)

S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	4916.31	64.23 %
2.	INFORMAL	172.28	02.25 %
3.	S.W.M.	0044.18	00.58 %
4.	ROAD	2521.23	32.94%
	TOTAL	7654.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PLOTS	NO. PLOTS
2.	RESIDENTIAL	34
3.	MOBILE TOWER	1
4.	INFORMAL COMMER.	1

SCALE - 1CM = 7 MTR.

	SCHEME BOUNDARY
	KHASRA LINE
	PLOT BOUNDARY

AREA IN KH. NO. 2550/720=7182.00 SQ. MTR
AREA OF KH. NO.2544/717= 422.00 SQ. MTR
AREA OF KH. NO.2547/717= 50.00 SQ. MTR
TOTAL AREA FOR CONVERSION=7654.00 SQ. MTR

SURVEYED BY

For JK CONSULTANCY
PARTNE